**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**लोक सभा**

**04.02.2026 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 784 का उत्तर**

**परभणी के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना**

**784. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) अमृत भारत स्टेशन योजना के मुख्य उद्देश्यों और देशभर में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करने के इसके उद्देश्य का ब्यौरा क्या है;**

**(ख) उक्त योजना के तहत परभणी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण के लिए आवंटित और उपयोग किए जाने वाले बजट का ब्यौरा क्या है;**

**(ग) इन स्टेशनों के नवीनीकरण कार्य की वर्तमान स्थिति और पूर्ण होने की अपेक्षित अवधि क्या है;**

**(घ) सरकार द्वारा उक्त स्टेशन पर प्रतीक्षा कक्ष, फूड कोर्ट और पेयजल व्यवस्थाओं जैसी यात्री सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;**

**(ङ) उक्त स्टेशन का नवीनीकरण निर्धारित समय-सीमा और बजट के भीतर पूर्ण होना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और**

**(च) महाराष्ट्र में नवीनीकृत परभणी स्टेशन और अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?**

**उत्तर**

**रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**

**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

**(क) से (च): रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत योजना की शरुआत की है।**

इस योजना में स्टेशनों में सुधार लाने के लिए मास्टर योजना तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल हैं। इस मास्टर योजना में निम्नानुसार शामिल हैं:

- स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार,
- स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण,
- स्टेशन भवन में सुधार,
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पेयजल बूथों में सुधार,
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े पैदल पार पुल/एयर कॉनकोर्स का प्रावधान
- लिफ्ट/स्वचालित सीढ़ियों/रैंप का प्रावधान
- प्लेटफॉर्म की सतह और प्लेटफॉर्म पर कवर में सुधार/प्रावधान
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान,
- पार्किंग क्षेत्र, यातायात के विभिन्न साधनों के साथ एकीकरण,
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं,
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली
- प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, लैंडस्केपिंग आदि का प्रावधान

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध और व्यवहार्य रूप से दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित रेलपथ का प्रावधान आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है। जिनमें से परभनी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के गंगखेर, मानवत रोड, परभनी जंक्शन, परतूर, पूर्णा जंक्शन, सेलू स्टेशनों सहित 132 स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में विकास के लिए चिह्नित किए गए स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:

| राज्य | अमृत स्टेशनों की संख्या | अमृत स्टेशनों के नाम |
|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 132 | अहमदनगर, अजनी (नागपुर), अक्कलकोट रोड़, अकोला, आकुर्डी, अमलनेर, आमगाँव, अमरावती, अंधेरी, बडनेरा, बल्हारशाह, बांद्रा टर्मिनस, बारामती, बेलापुर, भंडारा रोड, भोकर, भुसावल, बोरीवली, भायखला, चालीसगाँव, चांदा फोर्ट, चंद्रपुर, चर्नी रोड, छत्रपति संभा जी नगर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, चिंचपोकली, चिंचवाड, दादर (मध्य रेल), दादर (पश्चिम रेल), दहिसर, दौंड, देहु रोड, देवलाली, धामणगांव, धरणगांव, धाराशिव, धर्माबाद, धुले, दिवा, दुधनी, गंगाखेर, गोधानी, गोंदिया, ग्रांट रोड, हडपसर, हातकणंगले, हजूर साहिब नान्देड, हिमायत नगर, हिंगनघाट, हिंगोली दक्कन, |

| | | |
|---|---|---|
| | | इगतपुरी, जलगाँव, जालना, जेऊर, जोगेश्वरी, कल्याण जंक्शन, कामटी, कांदिवली, कंजुर मार्ग, कराड, काटोल, केडगाँव, किनवट, कोपरगाँव, कुर्डुवाडी जंक्शन, कुर्ला जंक्शन, लासलगाँव, लातूर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, लोनंद जंक्शन, लोनावाला, लोअर परेल, मलाड, मलकापुर, मनमाड जं, मानवत रोड, मरीन लाइन्स, माटुंगा, मिराज जंक्शन, मुदखेड़ जंक्शन, मुंबई सेंट्रल, मुंब्रा, मुर्तिजापुर, नागरसोल, नागपुर जं, नंदगाँव, नांदुरा, नंदुरबार, नरखेड़ जंक्शन, नासिक रोड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन, पाचोरा जंक्शन, पालघर, पंढरपुर, पनवेल जंक्शन, परभणी जंक्शन, परेल, परली वैजनाथ, परतूर, फलटाण, प्रभादेवी, पुलगाँव जंक्शन, पुणे जंक्शन, पूर्णा जंक्शन, रावेर, रोटेगांव, साईंनगर शिर्डी, सैंडहर्स्ट रोड, सांगली, सतारा, सावदा, सेलू, सेवाग्राम, शहाड, शेगांव, शिवाजी नगर पुणे, श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर, सोलापुर, तलेगांव, ठाकुर्ली, ठाणे, टिटवाला, तुमसर रोड, उमरी, उरुली, वडाला रोड, विद्यविहार, विक्रोली, वडसा, वर्धा, वाशिम, वाठार |

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य में रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तेज गति से शुरू किए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य में अब तक 17 स्टेशनों (आमगांव, बारामती, चांदा फोर्ट, चिंचपोकली, देवलाली, धुले, केडगांव, लासलगांव, लोनंद जंक्शन, माटुंगा, मुर्तिजापुर जंक्शन, नंदुरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन, परेल, सावदा, शहाड और वडाला रोड) का कार्य इस योजना के तहत पूरा हो चुका है। अन्य स्टेशनों पर भी कार्य तेज गति से शुरू किए गए हैं और उपरोक्त में से कुछ स्टेशनों की प्रगति निम्नानुसार है:

- मानवत रोड स्टेशन: प्लेटफार्म शेल्टर का कार्य पूरा किया गया है। स्टेशन भवन, प्रवेश द्वार, प्लेटफार्म की सतह, प्रतीक्षालय, शौचालय और लिफ्ट के सुधार संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।
- परभनी जंक्शन स्टेशन: नए स्टेशन भवन, प्लेटफार्म शेल्टर और 12मी. ऊपरी पैदल पुल का संरचनात्मक कार्य शुरू किया गया है।
- परतूर स्टेशन: प्लेटफार्म शेल्टर, प्लेटफार्म की सतह, परिचलन क्षेत्र, स्टेशन भवन का विस्तार, प्रतीक्षालय, शौचालय, 12मी. ऊपरी पैदल पुल, लिफ्ट एवं प्रवेश द्वार का कार्य शुरू किया गया है।
- पूर्णा जंक्शन स्टेशन: नए स्टेशन भवन, प्लेटफार्म शेल्टर, कम्पाउंड दीवार, प्लेटफार्म की सतह और 12मी. ऊपरी पैदल पुल का संरचनात्मक कार्य शुरू किया गया है।
- सेलू स्टेशन: प्लेटफार्म शेल्टर, प्लेटफार्म की सतह, प्रतीक्षालय में सुधार, शौचालय, लिफ्ट और 12मी. ऊपरी पैदल पुल का कार्य शुरू किया गया है।

इसके अलावा, भारतीय रेल में प्रतीक्षालय और पेयजल सुविधाओं सहित स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण निरन्तर और सतत प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्यों को पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, आवश्यकतानुसार किया जाता

है। स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/ उन्नयन/आधुनिकीकरण का कार्य स्टेशन की कोटि/स्थिति/संभाले जाने वाला यातायात आदि के आधार पर किए जाते हैं।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए फायर क्लीयरेंस, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन क्लीयरेंस इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करने (जिनमें जल/मलजल लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं। इसलिए, इस स्तर पर कोई समय सीमा इंगित नहीं की जा सकती है।

भारत सरकार के "सुगम्य भारत मिशन" या 'एक्सेसिबल इंडिया कैम्पेन' के एक भाग के रूप में, भारतीय रेल अपने रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों हेतु सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन में, "भिन्न रूप से सक्षम दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों की भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों तक पहुंच और स्टेशनों पर इनकी सुविधाओं संबंधी दिशानिर्देश" भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए हैं और इन्हें परिपत्रित किया गया है। इन दिशानिर्देशों में दिव्यांगजनों और कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए सुविधाओं के प्रावधान शामिल हैं जैसे प्रवेश रैंप, सुलभ पार्किंग, कम ऊंचाई वाले टिकट काउंटर/सहायता बूथ, शौचालय, पीने के पानी के बूथ, रैंप/लिफ्ट की सुविधा सहित सबवे/उपरि पैदल पुल और दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों हेतु ब्रेल साइनेज सहित मानक साइनेज और स्पर्शनीय पथ आदि शामिल हैं।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल स्टेशनों का विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण को सामान्यत: योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। स्टेशनों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु निधियों के आबंटन का ब्यौरा कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है। यात्री सुविधाओं को सामान्यत: योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। महाराष्ट्र चार रेलवे क्षेत्रों, अर्थात् मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन क्षेत्रों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹3,834 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें से अब तक (दिसंबर, 2025 तक) ₹3,122 करोड़ का व्यय उपगत किया गया है।

******